हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

तारीख हुक्म	मन्दिर मूर्ति गोपालजी बनाम मोतीलाल मु०नं०-236/89
	प्रार्थना पत्र
06.02.2019	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि उक्त प्रकरण काफी वर्षो से बहस में विचाराधीन चल रहा है। प्रकरण मन्दिर मूर्ति से सम्बन्धित है तथा प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन प्रकरण एस. बी. रिट रिव्यू प्रकरण संख्या 226/2011 में पारित निर्णय दिनांक 08.09.2017 की पालना में प्रकरण का निस्तारण एक वर्ष में करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण जवाब कायम मुकामी प्रार्थना पत्र में चल रहा है। जिसमें काफी समय से कायम मुकामान प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया है। अतः कायम मुकाम प्रार्थना पत्र की जवाबद्रेही बन्द कर पत्रावली में अन्तिम बहस सुनी जाकर पत्रावली का अन्तिम निर्णय इस प्रकार से है किः—
	वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35 कुल किता 7 कुल रकबा 0.60 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 13, 14, 16 कुल किता 3 कुल रकबा 2.52 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसकी खातेदारी मन्दिर मूर्ति श्री गोपाल जी कुण्डवाला विराजमान निज गृह के नाम से दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण उक्त मन्दिर मूर्ति की भूमि जो श्रीमाधोपुर—खण्डेला जाने वाली रोड़ के पूर्व दिशा में स्थित है। जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा अनावश्यक रूप से व कुप्रयासों से मन्दिर मूर्ति की भूमि को काश्त करना चाहते है। जिनका उनको कोई अधिकार नहीं है। अन्त में मन्दिर मूर्ति द्वारा इस्तदुआ चाही गई है कि अप्रार्थीगण मन्दिर मूर्ति की खातेदारी भूमि में कोई निर्माण नहीं करें ना ही अतिक्रमण करें एंव ना ही कृषि भूमि में किसी प्रकार के भूखण्ड का खरीद फरोख्त करें एंव ना ही अपने प्रतिनिधियों से किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन प्रार्थी ने किया है।
	उक्त प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में वकील अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्रों में अवगत कराया है कि वे उक्त वादग्रस्त भूमि में भूखण्डों को जरिये ईकरारनामों

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज मन्दिर मूर्ति गोपालजी बनाम मोतीलाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुये

प्रार्थना पत्र मु० नं० 23/89

से क्रय करना दर्ज किया है एंव अपने आपको जरिये ईकरारनामा काबिज होना दर्ज किया है। जिस पर वे निर्माण कर आबाद होना दर्ज किया है। वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित स्थगन आदेश को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा, जवाब प्रार्थना पत्र, प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी आदि का अवलोकन किया गया। जिससे प्रकट है कि उक्त भूमि की खातेदारी मन्दिर मूर्ति श्री गोपालजी कुण्डवाला विराजमान निज गृह के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड है। कानूनन मन्दिर मूर्ति की भूमि को किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी तरीके से बैचान या अन्तरण नहीं किया जा सकता है। मन्दिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग होता है जिसकी सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की बनती है। इस कारण मन्दिर मूर्ति के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की किसी भी निजी व्यक्ति के द्वारा कोई दखलन्दाजी व निर्माण आदि किया जाना कतई न्यायोचित नहीं होता है। यदि किसी निजी व्यक्ति द्वारा निर्माण इत्यादि कर भी लिया जाता है तो वह कानून संगत नहीं है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वादपत्र के निस्तारण तक स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि वे मन्दिर मूर्ति श्री गोपालजी कुण्डवाला विराजमान निज गृह के नाम दर्ज भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35 कुल किता 7 कुल रकबा 0.60 हैक्टर व भूमि खसरा नम्बर 13, 14, 16 कुल किता 3 कुल रकबा 2.52 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर बाबत न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी स्थगन आदेश दिनांक 20.12.1989 को कन्फर्म किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मन्दिर मूर्ति की खातेदारी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें एंव ना ही कोई निर्माण आदि करें ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्तियों से करावें। वादग्रस्त सम्पदा की यथास्थिति बनाये रखें।

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज
	मन्दिर मुर्ति गोपालजी बनाम मोतीलाल प्रार्थना पत्र मु० नं० -236/99
	तहसीलदार श्रीमाधोपुर को भी आदेशित किया जाता है कि वे उक्त मन्दिर मूर्ति श्री गोपालजी कुण्डवाला विराजमान निज गृह अवस्थित तन् ग्राम श्रीमाधोपुर में मन्दिर मूर्ति के शाश्वत नाबालिग होनें एंव मन्दिर मूर्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होने एंव आप राज्य सरकार के अधिकृत प्रतिनिधि होने से उक्त मन्दिर मूर्ति की खातेदारी भूमि की सरंक्षार्थ समुचित व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों। यह निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। (ब्रहम लाल जाट) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner